कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1028 /सम्भल/33049/2018, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 16, 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषय : सम्भल में आगरा–मुरादाबाद मार्ग (NH-93) नया NH-509 किमी0 186 चैनेज 186.180 की दायीं पटरी पर ग्राम–अफजलपुर डरौली के खसरा सं0–683 पर मै0 नयारा एनर्जी लि0 (पूर्व एस्सार ऑयल लि0) द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक–1234/14–1, दिनांक 31.10.2018

महोदय,

विषयगत प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में प्रवेश मार्ग, निकासी मार्ग एवं मध्य भाग में अवस्थित कुल वृक्षों के सापेक्ष पातन किये जाने वाले वृक्षों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

2– प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रभावित वनभूमि की श्रेणी अंकित नहीं की गयी है। संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

3– प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत गणना संलग्न नहीं है। संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

4– प्रवेश मार्ग, निकासी मार्ग एवं मध्य भाग में अवस्थित कुल वृक्षों का विवरण एवं उसके सापेक्ष पातन किये जाने वाले वृक्षों का विवरण स्पष्ट नहीं है। संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

5– प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता में भविष्य में दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुयी धनराशि जमा करने का उल्लेख अंकित नहीं किया गया है। संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

6– एन0पी0वी0 की गणना के शीर्षक में एन0टी0पी0वी0 अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है। संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

7– प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान पठनीय नहीं है। पठनीय ले–आउट प्लान प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

8– ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–4 पर वानस्पतिक घनत्व 0.02 अंकित है, जिसका ऑकलन त्रुटिपूर्ण है। ऑनलाइन संशोधित कर पार्ट–2 की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

9– ऑनलाइन पार्ट–2 के Additional Information Details में प्रवेश मार्ग, निकासी मार्ग एवं मध्य भाग में अवस्थित कुल वृक्षों एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों का विवरण अपलोड नहीं है।

10– ऑनलाइन पार्ट–2 पर प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के स्थान पर वन संरक्षक को सम्बोधित पत्र अपलोड किया गया है, जो सुसंगत नहीं है।

11– प्रस्ताव के साथ संलग्न सी0डी0 में प्रस्तावित स्थल एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की Kml File उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर तद्नुसार विषय सूची अपडेट कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

16/11/18

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–______/______,उक्त दिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल को इस आशय से प्रेषित कि वांछित सूचना एवं अभिलेख पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, मुरादाबाद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि श्री मनीष कुमार सिंह, डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, 2314 तृतीय तल टावर–ए, दि कोरिएन्थम, ए–41, से0–62 नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना व अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी सम्भल को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।